

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची

दूरभाष :- 0651-2201076
पत्राक 18861/जि०ग्रा०

ई-मेल :- drdaranchi2017@gmail.com
दिनांक 16/10/2021

मनरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यावेदन आमंत्रित करने

हेतु जिला के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ सूचना

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, सरकार के संकल्प ज्ञापांक 4729 दिनांक 04.06.2007 एवं नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य (संशोधन) नियमावली 2012 के संकल्प ज्ञापांक 6440 दिनांक 17.07.2012 एवं संकल्प संख्या (N) 848 दिनांक 21.03.2017 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर किया जाना है। रिक्त पदों की विस्तृत विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०	पद का नाम	अनारक्षित	अ०ज०जा०	अ०जा०	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	कुल रिक्त पद
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	1	2	-	-	-	3
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	1	1	-	-	-	2
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	5	4	-	-	-	9
4	लेखा सहायक	1	1	-	-	-	2
5	कम्प्यूटर सहायक	4	4	-	-	-	8
6	ग्राम रोजगार सेवक	25	19	2	2	2	50

नोट : विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।)

1. अर्हता

अनु०जा०/अनु०ज०जा०/पिछड़ा वर्ग/निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य है।

2. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ

(i) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका स्नातक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हों तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता:-

- (क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0आर0डी0, बी0सी0ए0 / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0बी0एम0 / पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 कमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।
- (ख) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जाएगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जाएगा।

3. तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं:-

(i) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक0 अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii) अतिरिक्त योग्यता:-

- (क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।
- (ख) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जाएगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

4. तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं:-

(i) अनिवार्य योग्यता -

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii) अतिरिक्त योग्यता:-

- (क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०टेक०/बी०ई०, बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्यूटर/बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।
- (ख) बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर को बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 कमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।
- (ग) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

5. लेखा सहायक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं:-

(i) अनिवार्य योग्यता -

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी०कॉम० ऑनर्स या बी०कॉम० सामान्य न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। सामान्य बी०कॉम० उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात एम०कॉम० किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी०कॉम० के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी०कॉम० ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता :-

- (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०कॉम०, बी०सी०ए०, तथा एम०सी०ए० / पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० अतिरिक्त योग्यता होगी।
- (ख) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० को प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

6. कम्प्यूटर सहायक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं:-

(i) अनिवार्य योग्यता -

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे।

(i) बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स या बी०एस०सी० कम्प्यूटर सामान्य या बी०सी०ए० या सामान्य स्नातक उत्तीर्णता के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० उत्तीर्ण।

(ii) बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०सी०ए० कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी०एस०सी० कम्प्यूटर आनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता :-

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए० /एम०एस०सी० कम्प्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

(ख) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए०/सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के पश्चात पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

7. ग्राम रोजगार के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं:-

(i) अनिवार्य योग्यता -

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इन्टरमीडियेट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI, मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत को इन्टरमीडियेट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता :-

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी०सी०ए० तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर/पी०जी०डी०सी०ए०/पी०जी०डी०बी०ए०/ पी०जी०डी०आर०डी० अतिरिक्त योग्यता होगी।

(ख) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। पी०जी०डी०सी०ए०/पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०आर०डी० को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

(ग) अभ्यर्थियों का योग्यता **Score** का निर्धारण इन्टरमिडियेट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा।

उपरोक्त सभी पदों (क्रम 2 से 7 तक) हेतु सभी शैक्षणिक योग्यताएँ, जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होगी।

8. आयु सीमा: दिनांक 01.01.2021 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम

क्र०	श्रेणी	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1	अनारक्षित	35 वर्ष	40 वर्ष
2	पिछड़ा/अत्यंत	37 वर्ष	47 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरुष)	40 वर्ष	50 वर्ष

9. राष्ट्रीयता: आवेदक भारत का नागरिक हो।

10. आरक्षण: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

11. परिलब्धि:

मानदेय :

क्र०सं०	पद का नाम	मानदेय प्रति माह (रु०)
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	19500/-
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	19234/-
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	17520/-
4	लेखा सहायक	10000/-
5	कम्प्यूटर सहायक	10000/-
6	ग्राम रोजगार सेवक	7500/-

12. नियुक्ति के नियम एवं शर्तें:-

- (क) उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।
- (ख) प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर किये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी, तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसे नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
- (ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 12 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (घ) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसे नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी

या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मों की सेवा की आवश्यकता नहीं हो, तो उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मों की सेवा समाप्त कर सकेंगे।

- (च) उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के लिए झारखण्ड राज्य के ही अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हें इस आशय का एक शपथ पत्र भी अर्पित करना अनिवार्य होगा कि झारखण्ड प्रांत के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। उनके द्वारा अर्पित शपथ पत्र/ कोई सूचना यदि कभी भी असत्य पाया जाता है तो उस अभ्यर्थी विशेष की नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसके लिए उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
- (छ) औपबधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन एवं दक्षता जाँच किया जायेगा। दक्षता जाँच में प्राप्त अंक मात्र Qualifying Nature का होगा। दक्षता जाँच लिखित अथवा मौखिक होगा।

14. आवेदन कैसे जमा करें:-

- (क) ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदक द्वारा दिनांक 18/10/2021 से दिनांक 25/10/2021 के अपराह्न 05:00 बजे तक वेबसाइट www.applyrdd.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। आवेदन शुल्क की राशि भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- (ख) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।
- (ग) अहर्ता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन में माँगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है।
- (घ) आवेदक द्वारा आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है।
- (च) जाँच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र एवं जिले के वेबसाइट www.ranchi.nic.in के माध्यम से दी जायेगी।
- (छ) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

15. आवेदन शुल्क:-

अभ्यर्थियों के द्वारा योग्यता के अनुरूप एक से अधिक पद के लिए आवेदन किया जा सकेगा। प्रति आवेदन शुल्क रु० 100/- (एक सौ) बैंक ड्राफ्ट के द्वारा **DRDA Ranchi, Account - Recruitment Payable at Ranchi** को भुगतान होगा। बैंक ड्राफ्ट दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन तथा शैक्षणिक दस्तावेजों जन्म तिथि प्रमाण पत्र, झारखण्ड राज्य की स्थानीयता का प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ निर्दिष्ट स्थान एवं समय पर समर्पित करना होगा।



उपायुक्त,
राँची।